

इसलिए जब आप स्कीम फाईनल करेंगे तो क्या आपके ध्यान में यह रहेगा कि जो गैंगमैन बी॰आर॰एस॰ लेकर जाएं या ड्राईवर्स जाएं, उनके वार्ड को जो गैंगमैन की बैंकेसी है, उसमें आप लें?

श्री नीतीश कुमार: महोदय, इन सब चीजों पर विचार मंथन चल रहा है इसमें अगर कोई बी॰आर॰एस॰ लेना चाहता है, खासकर यह सेफ्टी रिलेटेड रिटायरमेंट 2 ही कैटेगरीज़ के लिए है - ड्राईवर्स और गैंगमैन, अगर कोई रिटायरमेंट लेना चाहेगा तो पहले उससे पूछा जाएगा कि आप किस वार्ड को नौकरी दिलाना चाहते हैं? अगर वह वार्ड हर प्रकार से ऐलिजिबल होगा, टैस्ट के हिसाब से ऐलिजिबल होगा तो उसके प्रार्थनापत्र पर विचार होगा।

दहेज संबंधी मामलों में वृद्धि

*190. प्रो॰ एम॰एम॰ अग्रवाल:†

श्री राजू परमार:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गत कुछ वर्षों के दौरान दहेज संबंधी मामलों में कई गुना वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो गत दो वर्षों के दौरान महानगरों में प्रत्येक वर्ष दहेज संबंधी कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी महिलाओं की हत्या की गई तथा पुलिस द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रकार के कितने मामले आरोप पत्र के साथ न्यायालय में दायर किए गए हैं; और

(ड) क्या न्यायालयों में दहेज संबंधी मामलों के निपटान की प्रक्रिया की गति अत्यंत धीमी है, यदि हाँ, तो सरकार दहेज संबंधी मामलों से संबंधित कानून में संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ताकि मामलों का शीघ्रता से निपटान किया जा सके?

†सभा में यह प्रश्न प्रो॰ एम॰एम॰ अग्रवाल द्वारा पूछा गया।

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ड) विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) से (घ) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान दहेज संबंधी घटनाओं की संख्या में कमी आयी है। तथापि, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता तथा मुम्बई नामक चार महानगरों में दहेज मृत्यु के मामलों की संख्या वर्ष 2001 में 121 तथा वर्ष 2002 में 181 थी (अनन्तिम आंकड़े)। वर्ष 2001 तथा वर्ष 2002 में दहेज मृत्यु के मामलों की राज्य-वार संख्या विवरण-। में दर्शायी गई है (नीचे देखिए)। वर्ष 2000 में दहेज मृत्यु के 5952 मामलों तथा वर्ष 2001 में 6060 मामलों में आरोप-पत्र दायर किये गए।

(ड) भारत के विधि आयोग ने अन्वेषक अभिकरण को अधिकार प्रदान करने, अन्वेषण अभिकरणों तथा अभियोजकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, महिला लोक अभियोजकों की नियुक्ति, न्यायालय के छुट्टी के दिनों में कमी करने आदि के द्वारा मुकदमों के निपटान में तीव्रता लाने की अनुशंसा की है।

इसके अतिरिक्त, हाल ही में, केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री ने सभी मुख्य मंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को विवाह में निर्दयता की शिकार महिलाओं सहित अन्य व्यक्तियों को अपेक्षित राहत प्रदान करने हेतु तत्काल प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए पत्र लिखे हैं। मंत्री जी ने यह अनुरोध भी किया है कि जहाँ-कहाँ एक जिले में एक से अधिक तीव्र विचारण न्यायालय हों, उनमें से एक न्यायालय को विशेषकर महिलाओं से संबंधित यौन शोषण तथा विवाह में निर्दयता के मामले सौंपे जायें।

विवरण-।

दहेज मृत्यु के मामलों की राज्य वार संख्या

क्र०सं० राज्य का नाम	दर्ज कराये गये दहेज मृत्यु के मामलों की संख्या*	
	वर्ष 2001	वर्ष 2002
1. आन्ध्र प्रदेश	535	500
2. अरुणाचल प्रदेश	0	0
3. असम	28	27
4. बिहार	694	623

[1 August, 2003]

RAJYA SABHA

क्र०सं० राज्य का नाम	दर्ज कराये गये दहेज मृत्यु के मामलों को संख्या*	
	वर्ष 2001	वर्ष 2002
5. गोवा	2	2
6. छत्तीसगढ़	59	72
7. गुजरात	88	76
8. हरियाणा	260	255
9. हिमाचल प्रदेश	18	8
10. जम्मू व कश्मीर	1	8
11. झारखण्ड	0	218
12. कर्नाटक	249	276
13. केरल	22	14
14. मध्य प्रदेश	529	460
15. महाराष्ट्र	336	350
16. मणिपुर	0	0
17. मेघालय	0	0
18. मिजोरम	0	0
19. नगालैण्ड	0	0
20. उड़ीसा	297	238
21. पंजाब	169	174
22. राजस्थान	460	470
23. सिक्किम	0	0
24. तमिलनाडु	155	186
25. त्रिपुरा	15	15
26. उत्तरांचल	39	51
27. उत्तर प्रदेश	2197	1525
28. पश्चिम बंगाल	274	241
कुल (राज्य)	6427	5789

क्रमसंख्या राज्य का नाम	दर्ज कराये गये दहेज मृत्यु के मामलों की संख्या*	
	वर्ष 2001	वर्ष 2002
संघ राज्य क्षेत्र		
29. अण्डमान व निकोबार	0	0
30. चण्डीगढ़	3	2
31. दादर व नगर हवेली	0	0
32. दमन व दीव	0	0
33. दिल्ली	122	132
34. लक्षद्वीप	0	0
35. पाण्डिचेरी	1	5
कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	126	139
कुल (राज्य + संघ राज्य क्षेत्र)	6553	6067

* उक्त आंकड़े अनन्तिम हैं।

Increase in dowry related cases

†*190. PROF. M.M. AGARWAL: ††
SHRI RAJU PARMAR:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that dowry related incidents have increased manifold during the last few years;

(b) if so, the number of dowry related incidents which have been reported in the metropolitan cities during the last two years, year-wise;

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Prof. M.M. Agarwal.

(c) the number of girls killed during the said period and the details of cases in which FIR was registered by the Police, State-wise;

(d) the number of cases filed in the court with chargesheets; and

(e) whether the process of disposal of dowry related cases in courts is very slow, if so, what steps Government are contemplating to amend the law pertaining to dowry related cases so as to settle the cases expeditiously?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) As per the data furnished by National Crime Records Bureau (NCRB), Ministry of Home Affairs, dowry related incidents have shown an overall decline in the last five years. However, the incidence of dowry deaths in the four metropolitan cities of Chennai, Delhi, Kolkata and Mumbai was 121 in 2001 and 181 in 2002 (provisional figures). State-wise number of dowry deaths in 2001 and 2002 is as shown in Statement-I (See below). Charge sheets were filed in 5952 cases of Dowry Deaths in 2000 and 6060 cases in 2001.

(e) The Law Commission of India has recommended speedy trial by empowering the Investigative Agency, better coordination between investigating agencies and prosecutors, appointment of women public prosecutors, reducing holidays of the courts etc.

Besides, Minister of Law and Justice has, in his recent letter to all the Chief Ministers and the Chief Justice of the High Courts, urged to make immediate administrative arrangements to provide required relief to, *inter-alia*, women victims of sexual abuse and cruelty in marriage. He has also urged that wherever there is more than one fast Track Court in a District, one of these be earmarked to deal exclusively with cases of sexual abuse and cruelty in marriage relating to women.

Statement***State-wise number of cases of dowry deaths***

Sl. No.	Name of State	No. of dowry deaths reported during the years	
		2001*	2002*
States			
1.	Andhra Pradesh	535	500
2.	Arunachal Pradesh	0	0
3.	Assam	28	27
4.	Bihar	694	623
5.	Goa	2	2
6.	Chhattisgarh	59	72
7.	Gujarat	88	76
8.	Haryana	260	255
9.	Himachal Pradesh	18	8
10.	Jammu & Kashmir	1	8
11.	Jharkhand	0	218
12.	Karnataka	249	276
13.	Kerala	22	14
14.	Madhya Pradesh	529	460
15.	Maharashtra	336	350
16.	Manipur	0	0
17.	Meghalaya	0	0
18.	Mizoram	0	0
19.	Nagaland	0	0
20.	Orissa	297	238
21.	Punjab	169	174
22.	Rajasthan	460	470
23.	Sikkim	0	0
24.	Tamil Nadu	155	186
25.	Tripura	15	15
26.	Uttaranchal	39	51
27.	Uttar Pradesh	2197	1525
28.	West Bengal	274	241
TOTAL (States)		6427	5789

Sl. No.	Name of State	No. of dowry deaths reported during the years	
		2001*	2002*
Union Territories			
29. A & N Islands		0	0
30. Chandigarh		3	2
31. Dadra & Nagar Haveli		0	0
32. Daman & Diu		0	0
33. Delhi		122	132
34. Lakshadweep		0	0
35. Pondicherry		1	5
TOTAL (U.Ts)		126	139
TOTAL (STATES+UTs)		6553	6067

*figures are provisional.

प्र० एम्‌एम् अग्रवालः आदरणीय सभापति जी, मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि लों कमीशन ने यह कहा है कि स्पीडी ट्रायल किया जाए। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस स्पीडी ट्रायल की समय सीमा क्या होती? क्या इसकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? क्या मंत्रालय इस बात पर विचार कर रहा है कि इसकी कोई समय सीमा निर्धारित की जाए?

डा० मुरली मनोहर जोशीः महोदय, इसमें जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनके अंतर्गत अनेक जगहों से परामर्श करना पड़ता है। विधि मंत्रालय से भी परामर्श करना पड़ता है, गृह मंत्रालय से भी परामर्श करना पड़ता है, राज्य सरकारों से भी परामर्श करना पड़ता है। उसके बाद ही इसके लिए समय निर्धारित किया जा सकता है, उसके पहले नहीं।

प्र० एम्‌एम् अग्रवालः सभापति महोदय, दहेज संबंधी घटनाएं दो जगहों पर होती हैं - अर्बन ऐरियाज़ में या रूरल ऐरियाज़ में। अर्बन ऐरियाज़ में जो घटनाएं हैं, वे तो सेटल हो जाती हैं लेकिन रूरल ऐरियाज़ में जो घटनाएं होती हैं, पुलिस उनकी कोई परवाह ही नहीं करती है। जब लड़की मर जाती है, तब इन घटनाओं पर ऐक्शन होता है। इस बारे में मंत्रालय क्या कर रहा है?

डॉ मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, इसमें दो प्रश्न हैं। जहां तक महानगरों का या बड़े नगरों का प्रश्न है, वहां ये घटनाएं कुछ बढ़ी हैं, ऐसा देखने में आया है। जो शेष स्थान हैं, वहां घटनाएं कम हुई हैं, ऐसा देखने में आया है। उसके पश्चात भी नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, गृह मंत्रालय, हमारा मंत्रालय और विधि मंत्रालय, उन सारी व्यवस्थाओं पर विचार कर रहे हैं कि इन पर रोक कैसे लगाई जाए और जो मामले दर्ज होते हैं, उनका जल्दी निस्तारण कैसे किया जाए। उसके लिए आवश्यक कानूनी सुधार तथा व्यवस्थात्मक निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। मैं समझता हूँ कि शीघ्र ही हम इसके बारे में सदन में एक बिल लेकर आएंगे।

श्री राजू परमार: सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वर्ष 2000 में दहेज मृत्यु के 5952 मामलों में चार्जशीट दायर की गई और वर्ष 2001 में 6060 मामलों में चार्जशीट दायर की गई। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि चार्जशीट होने का बाद उसके द्रायल में बहुत समय लग जाता है और जो गुनहगार होता है, उसको तुरंत सजा नहीं होती है। तो इसके स्पीडी द्रायल के लिए सरकार क्या सोच रही है और मंत्री महोदय क्या सोच रहे हैं?

डॉ मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, फिलहाल तो यह बताया गया है कि जहां एक से अधिक डैज़िनेटेड कोर्ट हैं, फॉस्ट ट्रैक कोर्ट हैं, वहां एक कोर्ट इन दहेज के मामलों और दहेज मृत्यु संबंधी मामलों को देखने के लिए निर्धारित कर दी जाए। कुछ ऐसे सुझाव भी आए हैं कि इनकी जांच किस अधिकारी के द्वारा कराई जाए, इसके बारे में भी हमारे सामने कुछ रिपोर्ट आई हैं। हम विधि मंत्रालय और गृह मंत्रालय से उस संबंध में परामर्श कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम उन सुझावों को कार्यान्वित करें ताकि इन मामलों का जल्दी परीक्षण हो जाए, निस्तारण हो जाए और उसके बाद न्याय की प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाए। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और सरकार इस पर विचार कर रही है।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकला पांडे। कोई पुरुष हाथ नहीं उठाएं। मैं सब पुरुषों को एलाज नहीं करूँगा। महिला के रूप में कोई नाम देना चाहें तो मैं तैयार हूँ। ...*(व्यवधान)*...

श्री मोती लाल बोरा: प्रश्न करने वाले तो पुरुष हैं।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे: सभापति महोदय, यहां अधिकतर सभी आंकड़े दिए गए हैं। गांवों और कस्बों में जो दहेज के कारण मृत्यु होती है उनके आंकड़े कलक्ट करने के लिए क्या कोई प्रविधि अपनाई गई है और मैं यह भी पूछना चाहूँगी कि क्या सरकार

का ध्यान इस ओर गया है कि प्रायः बड़े महानगरों में विवाह सामाजिक हैसियत प्रदर्शन का माध्यम बनता जा रहा है और कई बड़ी कम्पनियां तथा अभी दिल्ली में एक एकजीविशन होने वाली है, अखबारों में आ रहा है शाही विवाह केषण से बड़े-बड़े होटलों में अथवा कैम्प लगाकर विवाह के तामझाम का प्रदर्शन करते हैं। इससे दहेज को बढ़ावा मिल रहा है। तो क्या सरकार इस तरह के वैवाहिक विज्ञापनों पर किसी तरह की रोक लगा सकेगी?

डा० मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, जहां तक इस बात का प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आंकड़े आए हैं और उनका निस्तारण हो, तो यह मामले राज्य सरकारों की दक्षता पर निर्भर करते हैं क्योंकि यह सारा काम करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होती है। हम उनको सुझाव देते हैं, हम उनको व्यवस्थाएं देते हैं लेकिन उसका निस्तारण तो उन्हें ही करना है, चार्जशीट उनको दाखिल करनी है, एफ०आई०आर० उनको दाखिल करनी है, मुकदमे उनको निस्तारित करने हैं। हम उनको बार-बार लिखते रहते हैं, बताते रहते हैं। विधि मंत्रालय की ओर से भी जाता है, मेरे मंत्रालय की ओर से भी जाता है, बराबर हम उनको पत्र लिखते हैं, आंकड़े मंगाते हैं। लेकिन इतना बड़ा देश है और सरकारों की तरफ से जो आंकड़े हमारे पास आने चाहिए वे भी समय पर नहीं आ पाते। इसलिए यह उसकी व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि इस मामले में रोकथाम करने के लिए हमें और अधिक प्रबंध करना है। एन०सी०डब्लू० ने इस मामले में करीब 20 वर्कशाप की हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से भी उन्होंने पूरी रिपोर्ट मंगाई है और उसके अलावा गृह मंत्रालय की तरफ से भी इसकी समीक्षा की जाती है। हम भी इसकी समीक्षा करते हैं। अब इस नतीजे पर धीरे-धीरे पहुंच रहे हैं कि कुछ तो कानूनी सुधार और कुछ राज्य सरकारों की व्यवस्थाओं का सुधार और मैं सभी सम्मानित सदस्यों से कहूंगा कि वे अपनी-अपनी राज्य सरकारों की भी इस मामले में थोड़ी सी उनकी जागरूकता को बढ़ाएं और उनको बताएं कि इन प्रश्नों पर जो कि बड़े महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्न हैं, गंभीर और बहुत ही सुचारू कदम उठाएं।

डा० प्रभा ठाकुर: सभापति जी, दहेज और महिला उत्पीड़न संबंधी मामलों में अनेक कड़े कानून होने के बावजूद वस्तु-स्थिति यह है कि ऐसे मामलों में पीड़िता या उसके परिजन वर्षों तक कोर्ट-कचहरी और प्रशासन के चक्कर लगाते रहते हैं और उन्हें न्याय नहीं मिलता और कई बार तो वे हताशा की स्थिति में अपने केसेज वापिस ले लेते हैं और अपनी पूंजी गंवाकर, समय गंवाकर हताश होकर बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार यह अनुभव करती है कि हर जिले में ऐसी कोर्ट कचहरी होने की आवश्यकता है जहां एक विशेष अवधि में ऐसे मामलों

का निस्तारण होना चाहिए, और इस बारे में कोई संशोधन लाने का सरकार कब तक विचार रखती है? कृपया बताएं।

डा० मुरली मनोहर जोशी: इसमें संशोधन लाने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने पहले भी उल्लेख किया कि जिन राज्यों में, जिन जिलों में एक से अधिक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई हैं वहां एक कोर्ट इसी काम के लिए निर्धारित करने की बात कर दी गई है। लेकिन हर जिले में फास्ट ट्रैक एक से अधिक बने यह जरूरी नहीं है। लेकिन जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं वहां यह मामले उन्हीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाते हैं और अगर एक से अधिक फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं तो एक कोर्ट स्पेशली इसी के लिए नियुक्त कर दी गई है। तो हम इसमें ध्यान दे रहे हैं। और भी सुझाव आए हैं जिनकी समीक्षा हमारे मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय में की जा रही है कि किस प्रकार से इन मामलों को हम और अधिक जल्दी निवाटाें।

श्री राजीव शुक्लः जो वृद्ध सांसें हैं ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: मैं एलाऊ नहीं करूंगा।

MS. PRAMILA BOHIDAR: Mr. Chairman, Sir, I would like to know about the number of convictions and about the nature of punishment in dowry related cases.

श्री सभापति: यह होम मिनिस्ट्री से संबंधित होगा।

डा० मुरली मनोहर जोशी: हां, बतला देता हू। इसमें ऐसा है कि हमारे पास द्रायल कं केसेज 2001 तक चार लाख निन्यान्वे हजार नौ सौ साठ थे जिसमें से ट्राइड हुए चौरासी हजार पांच सौ बहात्तर, कंविक्शन हुए इकतीस हजार सात सौ अस्सी, और इस प्रकार से करीब 38 प्रतिशत केस डिस्पोजल हुए, उसमें कंविक्शन हुआ और बाकी केसेज अभी चल रहे हैं।

डा० कुमकुम रायः धन्यवाद सभापति महोदय। ... (व्यवधान)...

श्री राजीव शुक्लः सभापति महोदय..।

श्री सभापति: आप महिलाओं को प्रश्न क्यों नहीं पूछने देते हैं? ... (व्यवधान)..
आप प्रश्न पूछने दीजिए। आप बैठिए। आप बैठिए। ... (व्यवधान)...

डा० कुमकुम राय: बड़ी मुश्किल से तो मुझे सवाल पूछने का मौका मिला है। आप मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए। ... (व्यवधान) ... सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा कितने राज्यों में विवाह पूर्व और विवाह पश्चात परामर्शी केन्द्र चलाये जा रहे हैं? उन परामर्शी या काउंसिलिंग सेंटर्स में किस प्रकार के केसेज आ रहे हैं? क्या आप उनकी संख्या से संतुष्ट हैं?

डा० मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, इसके लिए एक अलग से नोटिस चाहिए।

Forest cover in U.P.

***191. SHRI LALIT SURI:** Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

- (a) the present percentage of forest cover in Uttar Pradesh and how does it compare with the All India level;
- (b) the steps proposed to increase the forest cover in that State, particularly in the areas in the plains where the forest cover is unsatisfactory;
- (c) whether any financial assistance is proposed to be provided to the State Government for the purpose; and
- (d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI T.R. BAALU): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Forest Survey of India has been assessing forest cover of the country biennially since 1987 using satellite data. As per the latest State of Forest Report, 2001, forest cover in Uttar Pradesh is 5.71% and the forest cover of the country is 20.55% of the respective geographical areas.